उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

लालू सिंह

20 जुलाई **2007**

(डा**.** अरिजीत पासायत और डी**.**के**.** जैन**,** जे**.**जे**.)**

वन्य जीव **(**संरक्षण**)** अधिनियम**, 1972:**

धारा 50 (4), 39(1)(घ) - यमुना नदी के तल से रेत खोदकर ले जाने वाले ट्रेक्टर ट्रा ॅली को वन अधिकारियों अधिकारियों द्वारा जब्त करना - मजिस्ट्रेट के ट्रेक्टर को छोडने की शक्ति - आयोजित: मजिस्ट्रेट जब्तशुदा संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकते हैं - इस वैधानिक आदेश को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब्त की गई संपत्ति सरकार की संपत्ति बन जाती है जब इसका उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जाता है - जब्त की गई संपत्ति को छोडने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, इसमें शामिल मुद्दों का पूर्ण निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि यह विचारण का विषय है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973:

1. धारा 457 - 1972 के अधिनियम के तहत वन अधिकारी द्वारा ट्रेक्टर ट्रा ॅली की जब्ती- मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 457 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ट्रेक्टर को

छोडना - धारा 457 की प्रयोज्यता को चुनौती दी गई - आयोजित: धारा 457 लागू नहीं होगी, क्योंकि अधिनियम के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है - धारा 457 केवल तभी लागू होगी जब एक पुलिस अधिकारी उक्त संपत्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे - वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 - धारा 39 (1) (घ), 50 (4)

संशोधनवादी के भाई को कथित तौर पर धारा 18 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित अभयारण्य के भीतर यमुना नदी के तल से खोदी जा रही एक ट्रेक्टर ट्रोली को रेत से भरकर ले जाते हुए पाया गया था। वन अधिकारियों द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त कर लिया गया। संशोधनवादी द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली को छोडने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। धारा 457 दं.प्र.सं. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट ने संशोधन वादी के पक्ष में 2 लाख रूपये के व्यक्तिगत मुचलके पर ट्रेक्टर ट्रोली को छोड दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। पुनरीक्षण न्यायालय ने संशोधन की अनुमति देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत जब्त की गई ट्रेक्टर ट्रोली सरकार की संपत्ति बन गई है और इसलिए इसे मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं छोडा जा सकता। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट के पास अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय की अपील राज्य ने तर्क दिया कि उक्त एक्ट की धारा 50 की उप धारा (2) को हटाने के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, उक्त उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि जिस क्षण जब्त की गई संपत्ति की जब्ती होती है, वह उक्त एक्ट की धारा 39 के संदर्भ में सरकार की संपत्ति बन जाती है। धारा 457

दं.प्र.सं. लागू नहीं होती है क्योंकि यह केवल तभी लागू होती है जब कोई पुलिस अधिकारी उक्त संपत्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और उक्त अधिनियम के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया: धारा 457 दं.प्र.सं. लागू होती है जब पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती कर संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है। पुलिस अधिकारियों और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा के अंतर्गत अधिकारियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

इस प्रकार धारा 50 की उप-धारा (1) की स्पष्ट भाषा के अनुसार धारा 457 दं.प्र.सं. लागू नहीं होती है। परन्तु एक और प्रावधान है जो प्रासंगिक भी है अर्थात धारा 451 दं.प्र.सं. जो संपत्ति की अभिरक्षा और कुछ मामलों के लंबित विचारण में संपत्ति के निपटान से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि जब किसी संपत्ति को किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी जांच या मुकदमे के दौरान पेश किया जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह जांच या मुकदमे के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे। यह संपत्ति के शीघ्र और प्राकृतिक क्षय होने पर की जाने वाली कार्रवाई का भी प्रावधान करता है। यदि न्यायालय अन्यथा ऐसा करना समीचीन समझता है, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को दर्ज करने के बाद संपत्ति की बिक्री या उसके निपटारण के लिए आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

(पैरा 8 और 10) (424-सी,डी., 427 -बी-सी)

2. धारा 39 की उप धारा (1) (घ) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है जब अपराध करने के लिए वाहन, पोत, हथियार, जाल या उपकरण का उपयोग किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। समान स्थितियां है कि वाहन आदि का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया हो और उसे जब्त कर लिया गया हो। बिना किसी सामग्री के संपत्ति की जब्ती केवल यह दिखाने के लिए उसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया है, जब्त की गई संपत्ति को सरकार की संपत्ति नहीं बनाता है। धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई की जा सकती है जब यदि संबंधित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के तहत अपराध किया है। जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, या जब्त की गई वस्तुओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है, तो उसके पास ''कानून के अनुसार उससे निपटने की शक्ति होती है। 2003 के अधिनियम 16 द्वारा उप-धारा (4) में एक महत्वपूर्ण जोड किया गया है कि जब जब्त की गई संपत्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाही के बारे मंे वाइल्ड लाइफ वार्डन या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को सूचना दिये जाने की आवश्यकता है। धारा 50 में हटा दी गई उप-धारा (2) और प्रतिस्थापित उप-धारा (3 ए) का संयुक्त पठन यह स्थिति स्पष्ट करती है कि चूक से पहले अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास जब्त की गई वस्तु को रिहा करने का निर्देश देने की शक्ति थी। उप-धारा (1) के तहत, इस शर्त के अधीन अस्थायी अभिरक्षा देने की शक्ति की

मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक होने पर उसे पेश किया जायेगा, इस तथ्य का संकेत है कि मजिस्ट्रेट कथित जब्त की गई संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष पेश की गई है। अस्थायी रिहाई के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, इसमें शामिल मुद्दों का पूर्ण निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि यह विचारण का विषय है। आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस वैधानिक आदेश को ध्यान में रखना होगा कि जब्त की गई संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति बन जाती है, जब उसका उपयोग अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जाता है और उसे जब्त कर लिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य वन्यजीव अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सूचना देने से संबंधित उप-धारा (4) में सम्मिलन का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी रिहाई पर अभिरक्षा से संबंधित आदेश करने से पूर्व प्रासंगिक सामग्री को रिकाॅर्ड पर रखने का अवसर देना है। कुछ उचित मामलों में उसके सामने पेश की गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् ऐसी रिहाई या अभिरक्षा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है। (पैरा 13) (427-ई-एच, 428-ए-डी)

आपराधिक अपील संख्या - 963/2001

उच्च न्यायायल के दिनांकित 13.10.1999 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपील निगरानी संख्या 1144/1999

अशोक भान (ए.सी.) रमा देवी, एम.सी.ढींगरा, संजय कुमार सिंह, फजैल खान और अनुव्रत शर्मा - अपीलाथीयों की ओर से।

शकील अहमद और अरना दास - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायायल का निर्णय डा. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा पारित किया गया:

(1) इसी अपील में प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निगरानी याचिका को अनुमति देने वाले फैसले को इस अपील में चुनौती दी गई है। अपील वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 50 (4) के दायरे से संबंधित है। संबंधित मुद्दे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गुजाइंश से संबंधित है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है:

निगरानीकार लल्लू सिंह के भाई होशियार सिंह थे। कथित तौर पर अधिनियम की धारा 18 के तहत घोषित अभयारण्य के भीतर यमुना नदी के तल से खोदी जा रही और भरी जा रही रेत को ट्रेक्टर ट्रोली में ले जाते हुए पाये गये। वन्य अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रेक्टर ट्रोली को रोका, होशियार सिंह को गिरफ्तार किया और ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त कर लिया। ट्रेक्टर ट्रा ॅली के मालिक होने का दावा करते हुए लल्लूसिंह द्वारा एक निगरानी दायर की गई थी इसलिए, उन्होंने इसे छोडने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-7 ने संहिता की धारा 457 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगरानीकर्ता के पक्ष में दो लाख रूपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि में दो प्रतिभूतियों पर ट्रेक्टर ट्रा ॅली छोडी। उस आदेश के खिलाफ, यूपी राज्य जरिये जिला वन अधिकारी, आगरा के माध्यम से सत्र न्यायाधीश, आगरा के समक्ष आपराधिक निगरानी संख्या 85/1999 दायर किया गया जिसे विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम) द्वारा सुना और निपटाया गया। पुनरीक्षण अदालत का विचार था कि अधिनियम के तहत जब्त की गई ट्रेक्टर ट्रा ॅली, जो सरकार की संपत्ति बन गई है, में अभिनिर्धारित किया कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा छोडा नहीं जा सकता है, पुनरीक्षण की अनुमति दी और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए, निगरानीकार, लल्लूसिंह द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई जैसा कि उपर उल्लेखित है।

4. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट को अधिकार क्षेत्र था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) को हटाने के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। उन्होंने इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया कि जिस क्षण जब्त की गई संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है वह अधिनियम की धारा 39 के अनुसार सरकार की संपत्ति बन जाती है। संहिता की धारा 457 का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि यह केवल तभी संबंधित है जब एक पुलिस अधिकारी उक्त संपत्ति को

मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है अधिनियम के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 50 के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या सही है धारा 50 की उपधारा (2) का जब्त की गई वस्तुओं को छोडने की मजिस्ट्रेट की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अधिनियम की धारा 39 को लागू करने के लिए सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि जब्त की गई संपत्ति का उपयोग अपराध करने के उद्देश्य से किया गया था।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न उच्च न्यायालय के विचारों में भिन्नता है, इसलिए हमने श्री अशोक भान से न्यायमित्र के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया।

8. हमने पक्षों के अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना। यह उल्लेख किया गया है कि 1991 के अधिनियम 44 द्वारा अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं जो 2.10.1991 से प्रभावी है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रमुख परिवर्तन धारा 50 की उप धारा (2) को हटाने, धारा 39 की उप-धारा (1) में खंड (ग) और (घ) को शामिल करने, धारा 50 में उपधारा 3 (क) को शामिल करने से संबंधित है।

9. पहले प्रश्न पर विचार करते समय, जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकरण में धारा 457 दं.प्र.सं. लागू होगी। निर्विवाद रूप से, संहिता की

धारा 457 तब लागू होती है जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को दी जाती है। अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जैस कि धारा 50 की उप-धारा (1) से स्पष्ट है। जहां तक प्रासंगिक धारा में उल्लेख किया गया है।

''50 प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरोध की शक्ति। - (1) इसके बावजूद उस समय लागू किसी अन्य कानूनी में निहित कुछ भी निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है इस अधिनियम के विरूद्व अपराध,

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति से किसी बंदी को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा करता हैं

पशु, जंगली, पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्राॅफी अन्क्योर्ड ट्राॅफी, कब्जा, या कोई लाइसेंस, परमिट या उसे दिया गया अन्य दस्तावेज या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा रखे जाने की आवश्यकता है,

(ख) तलाशी या पूछताछ करने के लिए किसी भी वाहन या जहाज को रोके या किसी भी परिसर, भूमि, वाहन या पोत में प्रवेश करें और

तलाशी लें। ऐसे व्यक्ति के कब्जे से प्राप्त सामान और अन्य चीजों को खोले और तलाशी लें।

(ग) किसी भी बंदी पशु, जंगली पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्रा ॅफी को जब्त करें या असंरक्षित ट्रा ॅफी, या कोई निर्दिष्ट पौधा या उसका भाग या व्युत्पन्न, जिसके संबंध में इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध प्रतीत होता है, प्रतिबद्ध किसी भी जाल के किसी भी व्यक्ति के कब्जे में, ऐसे किसी भी अपराध को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, वाहन, पोत या हथियार और, जब तक वह संतुष्ट ना हो कि ऐसा व्यक्ति उपस्थित होगा और उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप का जवाब देगा, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करे और उसे हिरासत में लें:

बशर्ते की जहां एक मछुआरा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के दस किलोमीटर के भीतर रहता है, अंजाने में एक नाव पर प्रवेश करता है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मछली पकडने के लिए नहीं किया जाता हो, उस अभयारण्य के क्षेत्रीय जल में या राष्ट्रीय, उद्यान, ऐसी नाव पर मछली पकडने का सामान या जाल जब्त नहीं किया जायेगा।"

10. धारा 50 की उप-धारा (2) को 1991 के अधिनियम 44 द्वारा हटा दिया गया था।

संशोधन इस प्रकार है -

"36. धारा 50 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 50 में,

(क) उप-धारा (1) में

(1) खंड (ए) में, ''ट्रा ॅफी या असुरक्षित ट्रा ॅफी शब्दों के लिए, शब्द ''ट्रा ॅफी, असंरक्षित ट्रा ॅफी, निर्दिष्ट पौधा या उसका हिस्सा या व्युत्पन्न प्रतिस्थापित किया जायेगा,।

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(ग) किसी भी बंदी पशु, जंगली पशु, पशु, मांस, ट्रा ॅफी को जब्त करे या असंरक्षित ट्रा ॅफी, या कोई निर्दिष्ट पौधा या उसका हिस्सा या व्युत्पन्न, जिसके संबंध में इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध प्रतीत होता है। किसी भी जाल के साथ किसी भी व्यक्ति के कब्जे में, ऐसे किसी भी अपराध को करने के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण, वाहन, पोत या हथियार और, जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि ऐसा व्यक्ति उपस्थित होगा और उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप

का जवाब देगा तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार करे और उसे हिरासत में ले।

बशर्ते की जहां एक मछुआरा, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की दस किलोमीटर की परीधी में रहता हो, अनजाने में एक नाव पर प्रवेश करता है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मछली पकडने के लिए नहीं किया जाता हो उस अभयारण्य में क्षेत्रीय जल में या राष्ट्रीय उद्यान, ऐसी नाव पर मछली पकडने का सामान जब्त नहीं किया जायेगा।

(बी) उपधारा (2) हटाई जायेगी।

(ग) उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोडी जायेगी अर्थात्

(3-क) कोई भी अधिकारी जो सहायक निर्देशक वन्यजीव संरक्षण या वन्यजीव वार्डन से कम दर्जे का ना हो, जो या जिसके अधीनस्थ, किसी बंदी जानवर या जंगली जानवर को उप-धारा (1)(ग) के तहत जब्त कर लिया है तो ऐसे जानवर की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को इस शर्त पर कि वह जब कभी उस जानवर की आवश्यकता पडे तब अधिकारिता क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे, के अनुबंध पर दे सकेगा।

(घ) उप-धारा (6) मांस या असुरक्षित ट्राॅफी शब्दों के लिए जहां भी होंगे शब्द मांस, असुरक्षित ट्राॅफी, विशेष पौधा और भाग या व्युत्पन्न प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ड) उप-धारा (7) के बाद, निम्नलिखित उपधारायें जोडी जायेगी अर्थात्

(8) उस समय के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी कानून निहित होने के बावजूद कोई अधिकारी जो वन्यजीव संरक्षण के सहायक निदेशक या वन्यजीव वार्डन के पद से कम नहीं होगा, को शक्तियां होगी कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किये गये अपराधों की जांच कर सकेगा।

(क) तलाशी वारंट जारी करेगा।

(ख) गवाहों की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा।

(ग) दस्तावेजों और सामग्री की खोज और उत्पादन के लिए मजबूर करेगा।

(घ) साक्ष्य प्राप्त करना और अभिलिखित करना।"

10. उप-धारा (8) के खंड (घ) के तहत दर्ज कोई भी साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी बाद के मुकदमे मंे स्वीकार्य होगा कि यह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया है। छूट से पहले धारा 50 की उप-धारा (2) इस प्रकार है -

''बैंक का कोई भी अधिकारी जो वन्यजीव संरक्षण के सहायक निदेशक या वन्यजीव वार्डन के पद से कम ना हो जो या जिसे अधीनस्थ चुना हो, ने कोई जाल, उपकरण, वाहन, पोत या हथियार उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत जब्त किये गये हो, को छोडा जा सकता है यदि उसके स्वामी द्वारा बंधपत्र इस आशय पर निष्पादन करवाये कि जब भी आवश्यकता होगी जिस मजिस्ट्रेट को अपराध के संबंध में की गई जब्ती वाले अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार है, के समक्ष पेश कर देगा।

11. धारा 50 की उप-धारा (1) की स्पष्ट भाषा को देखते हुए, संहिता की धारा 457 का कोई अनुप्रयोग नहीं है लेकिन एक अन्य प्रावधान भी है जो प्रासंगिक है अर्थात संहिता की धारा 451 जो कुछ मामलों में विचाराधीन संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान के आदेश से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि जब किसी संपत्ति को किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी जांच या मुकदमे के दौरान पेश किया जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह जांच के विचारण के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे। यह संपत्ति के शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन होने पर की जाने वाली कार्रवाई का भी प्रावधान करता है। यदि न्यायालय अन्यथा ऐसा करना समीचीन समझता है, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को दर्ज

करने के बाद संपत्ति की बिक्री या उसके निपटारे के लिए आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

12. इस मुद्दे की वास्तविक जटिलता इस विवाद से उत्पन्न होती है कि अधिनियम की धारा की उप धारा 4 के अंतर्गत ''विधिनुसार देखा जावे'' कि अभिव्यक्ति का क्या प्रभाव होगा।

13. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता राज्य ने प्रस्तुत किया है कि जब उक्त जब्तशुदा संपत्ति सरकार की संपत्ति बन जाती है, मजिस्ट्रेट उसकी रिहाई या अंतरिम हिरासत के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

14. इस विवाद की सराहना करने के लिए अधिनियम की धारा 39 के धारा 39 की उप-धारा (1) का खंड (घ) उस स्थिति से संबंधित है जब किसी वाहन, पोत, हथियार, जाल या उपकरण का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे जब्त कर लिया गया है। दोहरी शर्तें यह है कि वाहन आदि का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया होगा और उसे जब्त कर लिया गया है। बिना किसी सामग्री के संपत्ति की केवल जब्त यह दिखाने के लिए उसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया है, जब्त की गई संपत्ति को सरकार की संपत्ति नहीं बनाता है। इस समय, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई की जा सकती है यदि संबंधित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के तहत अपराध किया है। अन्य शब्दों

में, इस विश्वास के लिए एक उचित आधार होना चाहिए कि एक अपराध किया गया है। जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जताा है, या जब्त की गई चीजों को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, तो उसके पास ''कानून के अनुसार उससे निपटने की शक्ति होती है। 2003 के अधिनियम 16 द्वारा उप-धारा (4) में एक महत्वपूर्ण जोड किया गया है, अर्थात् जब जब्त की गई संपत्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता होती है। हटाये गये धारा 50 की उप-धारा (2) और प्रतिस्थापित उप-धारा (3 ए) के संयुक्त पठन से स्थिति स्पष्ट है कि चूक से पहले, अधिनियम के तह अधिकारियों के पास जब्त की गई वस्तु को रिहा करने का निर्देश देने की शक्ति थी। उप-धारा (1) के तहत, इस शर्त के अधीन अस्थायी अभिरक्षा देने की शक्ति कि मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता पडने पर उसे पेश किया जाएगा, इस तथ्य का संकेत है कि मजिस्ट्रेट इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। कथित रूप से जब्त की गई संपत्ति जो उसके सामने पेश की गई है। अस्थायी रिहाई के आवेदन पर विचार करते समय इसमें शामिल मुद्दों का पूर्ण निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि यह विचारण का विषय है। आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस वैधानिक आदेश को ध्यान मंे रखना होता है कि जब्त की गई संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति बन जाती है जब उसका उपयोग इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा 4 में मुख्य वन्यजीव अधिकारी या अधिकारी को सूचना देने से यह आशय है कि मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई या

अभिरक्षा से संबंधित कोई आदेश पारित करने से पहले संबंधित अधिकारी को संबंधित सामग्री को रिकाॅर्ड पर रखने का अवसर देना इस उपधारा का उद्देश्य है। कुछ उचित मामलों में उसके सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् ऐसी रिहाई या अभिरक्षा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

15. यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि धारा 50 की उपधारा 1 के तहत प्रवेश जब्ती, गिरफ्तारी और निरोध का उद्देश्य अधिकारी को विश्वास किये जाने का उचित आधार प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है। इसलिए मजिस्ट्रेट को आवेदन पर विचार करते समय इन पहलूओं पर विचार करना आवश्यक है कि जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। यह एक नियमित प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं है कि धारा 457 दं.प्र.सं. लागू होती है।

16. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 26.03.2001 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को यह इंगित करना था कि क्या वह प्रतिभूति के रूप में दो लाख रूपये का बाॅन्ड जमा करवाने के लिए तैयार है। यदि उक्त प्रतिभूति तैयार की गई है तो समय बीतने के कारण विवादित आदेश लागू रहेगा। हालांकि उपर किये गये विश्लेषण को देखते हुए निष्कर्ष टिकाउ नहीं है।

17. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमें यह नहीं बताया है क्या उक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण हो चुका है। हम इसमें शामिल कानूनी मुददों को स्पष्ट करने की अपील का निपटारा करते हैं।

18. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

डी.जी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गार्गी चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।